कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बड़ीचौपड़, जयपुर, राजस्थान–302002

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय :– एफ–6 ( )उपा.राज.(प्रथम)/ला.शाखा/जननी/हैरिटेज/2023-24/ 2230 दिनांकः 09/06/23

सार्वजनिक–विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं, कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा नवीन डेयरी बूथों की संख्या 455 के चार गुणा सफल आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व विज्ञप्ति संख्या 2083, दिनांक 21.04.2023 के द्वारा दिनांक 24.04.2023 से 12.05.2023 तक मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु अटल सेवा केन्द्र मुख्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में बुलाया गया था। किन्तु आदिनांक तक सफल आवेदकों द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया गया हैं, एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांकः 2140, दिनांक 12.05.2023 के द्वारा दिनांक 15.05.2023 से 19.05.2023 तक सत्यापन की अवधि बढ़ायी गयी थी। किन्तु सम्पूर्ण सफल आवेदकों द्वारा मूल दस्तावेज का सत्यापन आदिनांक तक नहीं करवाया गया हैं।

अतः दिनांक 12.06.2023 से 20.06.2023 तक दस्तावेज सत्यापन से शेष रहे सफल आवेदक मूल दस्तावेज का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि आवेदकों द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते है, तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी। इस हेतु भविष्य में कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा। सफल आवेदकों की सूची नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर उपलब्ध हैं। सूचित रहें।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
I.A.S
आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. राजस्व अधिकारी (लाईसेन्स), नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख हैं, कि सार्वजनिक विज्ञप्ति नगर निगम जयपुर हैरिटेज (मुख्यालय) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख हैं, कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति का दो प्रमुख राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करावें।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोगामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख हैं, कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु), को भेजकर लेख हैं, कि अटल सेवा केन्द्र में सत्यापन टीम से दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
9. सुरक्षित पत्रावली।

–sd–
आयुक्त
नगर निगम जयपुर हैरिटेज